उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या: 01/2023/210/46-3-23-3(48)/98-99

लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2023

विज्ञप्ति

पेराई सत्र 2022-23 के लिए श्री राज्यपाल, प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने की विभिन्न प्रजातियों का "राज्य परामर्शित मूल्य" निम्नवत् निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1.	अगैती प्रजातियों के लिए	रु.350 प्रति कुन्तल
2.	सामान्य प्रजातियों के लिए	रु.340 प्रति कुन्तल
3.	अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए	रु.335 प्रति कुन्तल

2. पेराई सत्र 2022-23 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित गन्ने का "राज्य परामर्शित मूल्य (एस.ए.पी.)" के अनुसार देय गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा कृषकों को एकमुश्त किया जायेगा।

3. पेराई सत्र 2022-23 के लिए चीनी मिलों के बाह्य क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराये जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती की दर 42 पैसे प्रति कुन्तल प्रति कि.मी., अधिकतम रू.8.35 प्रति कुन्तल होगी, जिसके अनुसार वाह्य क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किये गये गन्ने का मूल्य तद्नुसार चीनी मिलों द्वारा देय होगा।

आज्ञा से,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 01/2023/210 (1)/46-3-23-3(48)/98-99, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वह इस **विज्ञप्ति** को **असाधारण गजट** के **विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख)** में दिनांक 17 फरवरी, 2023 को प्रकाशित कराने एवं विज्ञप्ति की **200 मुद्रित प्रतियाँ** शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या: 01/2023/210 (2)/46-3-23-3(48)/98-99, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in मे सत्यापित की जा सकती है।

2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर।
5. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।